



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India



दिनांक: 28 मार्च, 2023

निर्देश

विषय: प्रमुख नेटवर्क आउटेज की सूचना भादूविप्रा को देने के संबंध में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 के तहत निर्देश।

मिसिल सं. D-22/1/(2)/2023-QoS जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (इसके बाद "भादूविप्रा अधिनियम, 1997" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) को दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ कुछ कार्यों का निर्वहन सौंपा गया है; लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं के बीच इंटर-कनेक्टिविटी के नियम और शर्तें तय करना; विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर-संबंध सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके;

2. और जबकि प्राधिकरण ने नोट किया कि देश में विशेष रूप से सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में लंबी अवधि के लिए बड़े नेटवर्क आउटेज हुए हैं, जो प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, या यहां तक कि उन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कोई सेवा नहीं दी जाती है;

राजपाव

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग / Mahanagar Doorsanchar Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg
(ओल्ड मिनटो रोड), नई दिल्ली-110002 / (Old Minto Road), New Delhi-110002
फैक्स / Fax : +91-11-23213294, ईपीबीएक्स नं. / EPBX No. : +91-11-23664145



“प्रभावी विनियमन - सुगम संचार”
“Effective Regulation - Ease of Communication”

3. और जबकि प्रमुख नेटवर्क आउटेज के मूल कारण को समझने के लिए और सेवा प्रदाताओं को स्थानीय अधिकारियों (यदि आवश्यक हो) से प्रासंगिक समर्थन प्राप्त करने के लिए, प्राधिकरण ने पूरे देश में जिला स्तर पर ऐसे आउटेज के बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है;

4. इसलिए, अब, प्राधिकरण, धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), इसके द्वारा सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का निर्देश देता है: -

क) एक जिले (केंद्र/राज्य सरकार द्वारा परिभाषित राजस्व जिला) के पूरे उपभोक्ताओं को लगातार चार घंटे से अधिक की अवधि के लिए दूरसंचार सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नेटवर्क आउटेज की घटनाएं; उनके होने के चौबीस घंटे के भीतर संलग्न प्रारूप अनुलग्नक-1 के रूप में;

ख) इस तरह के प्रमुख नेटवर्क आउटेज का मूल कारण और सुधारात्मक कार्यवाही; सेवाओं की बहाली के बहतर घंटे के भीतर संलग्न प्रारूप अनुलग्नक- ॥ के रूप में;

5. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(तेजपाल सिंह)

सलाहकार (क्यूओएस-1)

प्रति

सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) (बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित)

प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए प्रारूप

अनुलग्नक- I

1. प्रारंभिक रिपोर्ट संख्या. [एलएसए / जिला / तारीख (DDMMYYYY)/ क्रम. सं.] :
2. सेवा प्रदाता का नाम:
3. लाइसेंस सेवा क्षेत्र:
4. रिपोर्टिंग तिथि:
5. प्रभावित साइटों की संख्या:
6. प्रभावित उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या:

क्र.सं.	सेल आईडी	जिले का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	आउटेज अवधि				कारण (फाइबर/ हार्डवेयर/ बिजली/बैकहॉल/अन्य)
				प्रारंभ तिथि और समय	समाप्ति तिथि और समय (यदि लागू हो)	तिथि	और	
1.								
2.								
...								

मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रारूप

1. प्रारंभिक रिपोर्ट संख्या और दिनांक: (प्रारंभिक रिपोर्ट के समान)
2. सेवा प्रदाता का नाम:
3. लाइसेंस सेवा क्षेत्र:
4. घटना दिनांक और समय:
5. संशोधन दिनांक और समय:
6. सुधार में लगा समय :
7. अंतिम रिपोर्ट की तिथि:
8. दोष का कारण (प्राकृतिक आपदा/फाइबर टूटना/बिजली/सिस्टम/बैकहॉल/अन्य):
9. दोष के विवरण के साथ मूल कारण विश्लेषण :
10. पुनरावृत्ति को कम करने के लिए किए गए उपाय: